—:: कार्यालय — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

// परिपत्र //

क्रमांक.....669/दो/08/01/2017 उज्जैन, दिनांक 15/12/2025

इस न्यायिक पदस्थापना पर पदस्थ उप प्रशासनिक अधिकारीगण के द्वारा पृथक–पृथक जांच कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मेरे संज्ञान में आया हैं कि, जिला एवं तहसील मुख्यालयों में न्यायालयों एवं अनुविभागों में प्रस्तुत होने वाली अर्थदंड, मुचलका जप्ती की जमा होने वाली राशि की रसीदों एवं चालानों का सत्यापन कोषालय से नहीं कराया जा रहा है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

अतः समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाली समस्त रसीदों/ चालानों का प्रत्येक माह कोषालय से सत्यापित कराया जाना सुनिश्चित कर उक्त सत्यापन रिपोर्ट को उप प्रशानिक अधिकारीगण के निरीक्षण के दौरान उनके समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावें।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी मेरे संज्ञान में आया है कि, जिला एवं तहसील मुख्यालयों में न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों में जमा होने वाली मुद्देमाल की नगद राशि नियमानुसार निराकरण हेतु मालखाना अनुविभाग में जमा नहीं की जाकर विलंब से संबंधित पुलिस थानों द्वारा सीधे जमा की जाकर मात्र रसीदें प्रस्तुत की जा रही है जो कि म0प्र0 आपराधिक नियम व आदेश के नियम 680 के अनुसार सही नहीं है।

अतः समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि व मुद्देमाल राशि को जमा किए जाने के संबंध में म0प्र0 आपराधिक नियम व आदेश के नियम 680 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा जमा राशि की रसीदों का सत्यापन कोषालय से कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

13.12.25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक.....11218/दो/08/01/2017 उज्जैन, दिनांक 15 DEC 2025 /12/ 2025

प्रतिलिपि —

1. समस्त न्यायालय जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्रभारी अधिकारीगण मालखाना अनुविभाग उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

D:\SW\Dypt sir Tour Program\Shri Rajesh Raykwar DYO\Tarana